भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3898

उत्तर देने की तारीख 16 मार्च, 2026

सोमवार, 25 फाल्गुन, 1947 (शक)

पश्चिम बंगाल में एसडीएस परियोजनाएं

3898. श्री खलीलुर रहमानः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 2019 से शुरू की गई कौशल विकास योजनाओं/परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजनाओं में उक्त अवधि के दौरान नामांकित युवाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षित युवाओं में से रोजगार प्राप्त करने वाले या उद्यम शुरू करने वाले युवाओं की संख्या दर्शाने वाला डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं/परियोजनाओं में उक्त अवधि के दौरान आवंटित की गई और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) & (ख): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

पश्चिम बंगाल राज्य में वित्त वर्ष 2018-19 से दिसंबर 2025 तक की अवधि के दौरान एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत नामांकित उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित है:

योजना का नाम	**नामांकित उम्मीदवारों की संख्या**
पीएमकेवीवाई	4,25,022
जेएसएस	1,00,668
एनएपीएस	1,37,110
सीटीएस	2,56,870

(ग): एमएसडीई की योजनाओं में से, पीएमकेवीवाई पहले तीन चरण (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) जिसे वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया था, के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट को ट्रेक किया गया है। पीएमकेवीवाई (1.0, 2.0 और 3.0) के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में 131,330 उम्मीदवारों के प्लेसमेंट (वेतनभोगी और स्वरोजगार दोनों) की सूचना दी गई थी। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विभिन्न करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से अभिविन्यस्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) कौशल प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच को सुगम बनाता है। इसके अलावा, प्रमाणित उम्मीदवारों के प्लेसमेंट को सुगम बनाने के लिए कौशल मेले और पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए गए हैं।

(घ): पीएमकेवीवाई और जेएसएस योजना के तहत धनराशि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है। जेएसएस योजना के तहत धनराशि गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सीधे जारी की जाती है। एनएपीएस के तहत, प्रशिक्षुओं को प्रति माह 1500 रुपये तक का वजीफा डीबीटी के माध्यम से जारी की जाती है, न कि इसमें शामिल किए गए संस्थानों को। आईटीआई से संबंधित दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

पश्चिम बंगाल में एमएसडीई की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2018-19 से 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) की अवधि के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**जारी धनराशि (करोड़ रूपए में)**
1.	पीएमकेवीवाई	238.25
2.	जेएसएस	28.70
3.	एनएपीएस	96.50
